परिपत्र संख्या – 28/2017 सीमाशुल्क

फा.सं.609/56/2017डीबीके
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
प्रतिअदायगी प्रभाग

तारीख 6 जुलाई, 2017

सेवा में,
प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक,
मुख्य आयुक्त/ महानिदेशक,
प्रधान आयुक्त/आयुक्त,
सभी सीबीसी के तहत

महोदय/महोदया,

विषय:- वस्त्रों और वस्त्र निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर राज्य करों से छूट में दिनांक 01-07-2017 से छूट की संशोधित दर के संबंध में।

आपका ध्यान वस्त्रों और वस्त्र निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर कपड़ा मंत्रालय की राज्य करों से छूट संबंधी योजना(आरओएसएल) से संबंधित इस मंत्रालय के क्रमश: परिपत्र सं. 43/2016-सीमाशुल्क दिनांक 31.08.2016 और 08/2017-सीमाशुल्क दिनांक 20.03.2017 की और आकृष्ट किया जाता है।

2. आपकों यह बताया जाता है कि कपड़ा मंत्रालय ने अधिसूचना सं.14/26/2016–आइटी, दिनांक 27.06.2017 को जारी करके 01.07.2017 से आरओएसएल योजना की अनुसूची I, IIऔर III में दी गई छूट की दरों में संशोधान कर दिया है। ये संशोधित दरें आरओएसएल तथा अग्रिम प्राधिकार–अखिल औद्योगिक दर सुमेल के अंतर्गत क्रमश: 0.39 प्रतिशत और 0.23 प्रतिशत है। इस अधिसूचना को वेबसाइट egazette.nic.in से डाउनलॉड करके इसका अवलोकन किया जा सकता है।

3. आरओएसएल योजना के अंतर्गत वस्त्रों और वस्त्र निर्मित वस्तुओं के निर्यात की संशोधित दर 01.07.2017 से लेट एक्सपोर्ट ऑडर होने वाले निर्यात पर लागू होंगे। इस आरओएसएल स्कीम की संशोधित दरों के ईडीआई कार्यन्वयन का काम प्रणाली निदेशालय ने पूरा कर लिया है।

4. व्यापरियों और अधिकारियों के लिए उपयुक्त सार्वजनिक सूचना और स्थाई आदेश जारी किए जाएं। यदि इसके कार्यन्वयन में कोई परेशानी आ रही हो तो उसकी बोर्ड को जानकारी दी जानी चाहिए।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
निदेशक
टेली. 23360581

प्रतिलिप– प्रधान मुख्य नियंत्रक लेखा, सीबीईसी।